

कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने और राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए उपाय सुझाती है। राजभाषा हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करने हेतु तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाने हेतु विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ भी गठित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न श्रेणियों के हिन्दी पदों का सृजन किया गया है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अनेक पुरस्कार व प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

(ख) संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना के आधार पर किया जाता है। इसी के अनुरूप सभी मंत्रालय/विभाग राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम के प्रावधानों का अनुपालन करवा रहे हैं और धीरे-धीरे सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सहित अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देती है। इस समय महाराष्ट्र में 9 ऐसी स्वैच्छिक-संस्थाएं कार्यरत हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 पर चर्चा करेंगे—माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

“संयुक्त राज्य अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत”

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, मई 11 और 13 के परीक्षणों के बाद सरकार ने समय-समय पर सदन को विश्वास में लिया है और माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहा है। यह सदन में 27 से 29 मई, 8 जून और 3-4 अगस्त को दिए गए वक्तव्यों तथा विचार-विमर्श के जरिए किया गया। फिर भी मैं अपनी नीति की कुछ विशेषताओं को दोहराना चाहूंगा।

मैं इस अवसर पर इस बात को दोहराता हूँ कि भारत की सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता अडिग है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि भारत का लगातार यह मानना रहा है कि नाभिकीय शस्त्र मुक्त विश्व से न केवल हमारी बल्कि सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी होगी। इसी कारण इस दिशा में पिछले पचास वर्षों के दौरान अनेक पहल की गईं, ऐसे कदम उठाए गए जिनसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक तथा दृढ़ उपायों को

प्रोत्साहन मिले। खेद है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर वे देश जिनकी सुरक्षा नाभिकीय शस्त्रों अथवा नाभिकीय छत्र पर आधारित है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः तीन दशक पहले अपने नाभिकीय विकल्प को खुला रखना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता बन गई जो शीतयुद्ध के बाद की अवधि में भी भारत के लिए उतना ही जरूरी है। इस प्रकार मई, 1998 में प्रयोग में लाया गया विकल्प लगभग 25 वर्ष पूर्व लिए गए निर्णय के क्रम में था, जिसके दौरान भारत ने अपने क्षेत्र की सुरक्षा से सम्बद्ध विशिष्ट जटिलताओं को देखते हुए एक अनुकरणीय नाभिकीय संयम का प्रदर्शन किया। मैं इस बात को भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एक के बाद एक आने वाली सभी सरकारों ने इस विकल्प को बनाए रखा, अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया तथा ऐसे उपाय किए जो शास्त्रीकरण के जरिए इस विकल्प की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे।

भारत की क्षेत्रीय अखण्डता तथा सम्प्रभुता को किसी बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग के भय से सुरक्षा के उद्देश्य से जिस प्रकार हमारी परम्परागत रक्षा क्षमता को इस्तेमाल में लाया जाता रहा है उसी प्रकार हमारी नाभिकीय निवारण स्थिति भी इसी तर्क के अनुसरण में है। न्यूनतम नाभिकीय निवारक को बनाए रखने के अपने इरादे की हमने घोषणा की है जो विश्वसनीय है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की चिन्ताओं का समाधान निकालने के हमारे सार्वभौम तथा संवर्धित उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए और हमारी नाभिकीय क्षमता के आत्मरक्षा के स्वरूप के बारे में सभी देशों को पुनः आश्वस्त करने के उद्देश्य से हमने प्रमुख वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की हैं। केवल भारत ही एक ऐसा नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी नाभिकीय शस्त्रों को धीरे-धीरे तथा उत्तरोत्तर रूप से उन्मूलन के लिए बातचीत करने का आह्वान किया है।

सभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर मित्र देशों के साथ परामर्श की हमारी एक सुव्यवस्थित परम्परा भी है। आने वाली सभी सरकारों ने हमारे विदेश संबंधों में खुले, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखा है। यह हमारी राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने मई, 1998 से पहले भी अमरीका के साथ विस्तृत तथा व्यापक आधुनिक बातचीत जारी रखी। इसमें निरस्त्रीकरण और अप्रसार तथा बृहत नीतिगत मसलों पर बातचीत शामिल है।

मई 11 और 13 के नाभिकीय परीक्षणों के बाद कुछ हल्कों ने आशंकाएं व्यक्त कीं। इसलिए इस पर अधिक ध्यान देते हुए गहन बातचीत करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह को इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने अमरीकी वार्ताकार के रूप में विदेश राज्यमंत्री स्ट्रोब टालबोट को नामित किया।

यह बातचीत उन व्यापक प्रस्तावों के आधार पर की गई, जिसे मई के परीक्षणों के बाद भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पेश किया। सदन को स्मरण होगा कि इन प्रस्तावों में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों पर स्वैच्छिक रोक लगाना, हमारी यह इच्छा कि इस वचनबद्धता को विधिक रूप प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ाना, हथियारों के प्रयोजन के लिए विखंडनीय सामग्री के भविष्य में उत्पादन पर रोक लगाने के लिए एक संधि पर बातचीत में शामिल होने का निर्णय लेना, और संवेदनशील सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकी पर निर्यात नियंत्रणों की मौजूदा प्रणाली को और अधिक कठोर बनाने का निश्चय करना है।

वाशिंगटन की 11 जून, 1998 की बैठक के बाद श्री जसवंत सिंह और श्री टालबोट के बीच छः दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों पक्षों ने विचारों की भिन्नता को कम करने तथा साझा आधार तैयार करने के लिए उपयोगी बातचीत की। विचारों के ये आदान-प्रदान उत्तरदायित्व, स्पष्टवादिता तथा एक-दूसरे की चिंताओं और विचारों को ईमानदारी से समझने के प्रयास के रूप में हुए हैं। सरकार को यह अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें शामिल मसले दोनों देशों के अनिवार्य हित के हैं। इन बातचीतों में हमने दृढ़ता से अपनी सुरक्षा चिन्ताओं तथा न्यूनतम, विश्वसनीय, नाभिकीय निवारक कायम करने की आवश्यकता को रखा। मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि बातचीत इस आधार पर आरम्भ हुई। हमारी सुरक्षा चिन्ताओं और आवश्यकताओं पर अब कुछ सहमति है।

बातचीत निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार से सम्बद्ध मसलों पर केन्द्रित रही। इस बात पर सहमति है कि क्षेत्रीय मसलों को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। माननीय सदस्य इस बात से मली-भांति अवगत हैं कि इन मामलों में भारत की चिन्ताएं दक्षिण एशिया क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में हैं।

छः दौर की बातचीत के बाद अब बातचीत निम्नलिखित चार मसलों तक सीमित रह गई है :-

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि : भारत अपने स्वैच्छिक स्थगन को एक कानूनी दायित्व में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बातचीतों में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि यह संधि सितम्बर, 1999 से प्रभावी होनी चाहिए, के प्रत्युत्तर में 24 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में मैंने यह बात विस्तार से दोहरायी जो कि मैंने संसद में कहा था कि "भारत अब अपने प्रमुख वार्ताकारों के साथ कई मसलों पर बातचीत कर रहा है जिसमें व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी शामिल है। हम इन वार्ताओं को एक सफल निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रवर्तन सितम्बर, 1999 से आगे न टले। हमें उम्मीद है कि अन्य देश जैसा कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुच्छेद XIV में बताया गया है, बिना किसी शर्त के इस संधि का अनुपालन करेंगे"।

हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बातचीत के सफल निष्कर्ष के लिए हमारे वार्ताकारों द्वारा सकारात्मक वातावरण तैयार करना जरूरी है।

मैं सदन को पुनः आश्वासन करना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के आकलन में यह दृष्टिकोण हमारे उन उपायों को करने में आड़े नहीं आएगा जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत के लिए भविष्य में आवश्यक समझे जाएंगे। यह न तो हमारे अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को जारी रखने में बाधक है और न ही इससे आने वाले वर्षों में हमारे नाभिकीय निवारक की सुरक्षा तथा प्रभावशीलता के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा है।

विखण्डनीय सामग्री नियंत्रण संधि : जेनेवा में निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सम्मेलन में विखण्डनीय सामग्री नियंत्रण संधि वार्ता में भाग लेने की हमने अपनी इच्छा व्यक्त की है। अन्य बहुत से देशों की तरह हमारा भी यह मानना है कि इन वार्ताओं का उद्देश्य वह भेदभाव रहित संधि करना है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1993 के सर्वसम्मति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार शस्त्र प्रयोजनों के लिए भविष्य में विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन को समाप्त कर देगी। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। हम इस प्रकार की संधि शीघ्र करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

हमें यह सुझाव दिया गया है कि हम विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने की घोषणा पर विचार करें। हमने बता दिया है कि इस स्तर पर ऐसे उपाय करना सम्भव नहीं है। हम विखण्डनीय सामग्री नियंत्रण संधि से सम्बद्ध बातचीत में तय किसी बहुपक्षीय पहल पर निश्चित तौर पर गम्भीरता से ध्यान देंगे।

निर्यात नियंत्रण : इस क्षेत्र में चर्चा में प्रगति हुई है। दोनों पक्षों से विशेषज्ञ अधिकारी स्तर की एक बैठक 9-10 नवम्बर को नई दिल्ली में हुई। हमारी अतिरिक्त क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न जिम्मेदारी राज्य होने के नाते, और जैसा कि पहले घोषित किया गया है, हम इस संबंध में अपने नियमों को और कठोर बनाने के सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं। हमने यह भी बताया है कि भारत के संवेदनशील प्रौद्योगिकियों पर प्रभावी नियंत्रण के दोषमुक्त रिकार्ड को देखते हुए भारत को दोहरे प्रयोग और उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग की बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। विशेषज्ञ स्तर की इस बैठक को इस क्षेत्र में सहयोग जारी रखने की संभावनाओं के लिए भारत और अमरीका दोनों ने लाभदायक माना है।

रक्षा संबंधी स्थिति : जैसा कि निःसंदेह, हमारे माननीय सदस्यों को मालूम है कि रक्षा स्थिति से सम्बद्ध मामले सर्वोपरि हैं और उन पर बातचीत नहीं की जा सकती। वास्तव में हमारी बातचीत इस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है कि भारत नाभिकीय निवारण के लिए अपने सुरक्षा के मूल्यांकन के आधार पर अपनी अपेक्षाओं को स्वयं निर्धारित करेगा। अमरीका और अन्य वार्ताकार हमारी स्थितियों और हमारी नीतियों को बेहतर समझने के इच्छुक हैं।

हमने "पहले प्रयोग न करने" और नाभिकीय शस्त्र रहित राज्यों के विरुद्ध "बिल्कुल प्रयोग न करने" की नीति की औपचारिक घोषणा की है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि, न्यूनतम नाभिकीय निवारण सहित पहले प्रयोग न करने की नीति का तात्पर्य नाभिकीय शस्त्रों का इस प्रकार प्रयोग करना है कि जिससे अपना बचाव और उचित जबाव देने की क्षमता सुनिश्चित हो। हम किसी भी देश के साथ शस्त्र दौड़ में भी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयोग कम से कम विश्वसनीय निवारक होगा, जो इस समय और भविष्य में भी भारत की सुरक्षा, जन समुदाय के एक छठवें हिस्से की सुरक्षा की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अपने सहयोगी निकायों, जिसकी स्थापना की घोषणा की जा चुकी है, की सहायता से इन आवधारणाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

हमने कुछ निर्यात नियंत्रण प्रणाली के प्रावधान के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं, जो स्पष्ट रूप से अप्रसार उद्देश्यों को बढ़ावा देना चाहती हैं लेकिन उसका अनुप्रयोग पक्षपातपूर्ण है। भारत का प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम एक स्वदेशी कार्यक्रम है जो लगभग 15 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की हमारे सुरक्षा वातावरण विशेषकर हमारे क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्र अभिग्रहण और तैनाती को ध्यान में रखते हुए नियमित समीक्षा की जाती है। हमने घोषणा की है कि अग्नि का नया रूप जिसकी रेंज अधिक है, विकसित किया जा रहा है। ऐसी संवर्धित रेंज वाली अग्नि का उद्धान परीक्षण पूर्णतः मान्य अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार किया जाएगा। यद्यपि हमारा निर्णय निवारक के विस्तार को कायम करना है, जो कि न्यूनतम और विश्वसनीय है, फिर भी मैं, इस सदन को पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार भारत की अनुसंधान और विकास क्षमताओं के विकास पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी गतिविधियां किसी भी देश की रक्षात्मक तैयारी का अभिन्न हिस्सा हैं और आने वाले समय में नए संकट का सामना करने के लिए जरूरी है। यह सरकार ऐसे उस हर सुझाव का स्पष्ट रूप से विरोध करती रही है जो घुसपैठ या प्रभुसत्ता के उल्लंघन के द्वारा भारत की प्रौद्योगिकी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है।

इसके साथ ही साथ हम सभी नाभिकीय शस्त्रों के सम्पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में पहल जारी रखेंगे। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमने "नाभिकीय खतरे को घटाने" से संबंधित एक संकल्प के द्वारा पहल की है, जो एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य नाभिकीय बंदूक का घोड़ा दबाने से होने वाले शीत युद्ध की कगार पर बैठे देशों को पीछे लाना है। यदि ऐसे पहल अन्य नाभिकीय शस्त्र के पक्षकार राज्यों द्वारा बहुपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं तो वे, वास्तव में तदनुसार हमारी स्थिति को प्रतिलिखित करेंगे।

संयुक्त राज्य और अन्य देशों के साथ इस विचार-विमर्श के दौरान मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सम्पर्क बनाए रखा। विभिन्न देशों द्वारा की गई उद्घोषणाओं और घोषणाओं पर हमने समय-समय पर वक्तव्य जारी किया है। संसद में इन

वक्तव्यों और सरकारी प्रवक्ता के बयानों से हमारी स्थिति स्पष्ट है जिससे माननीय सदस्य पूर्णतः अवगत हैं। संसद की स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति की बैठकों में इन मुद्दों पर भी काफी विस्तार से चर्चा की गई है। इन विचार-विमर्शों में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से हमें संयुक्त राज्य और अन्य देशों के साथ चर्चा के दौरान बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला है।

यह वार्ता संयुक्त राज्य के साथ अगली बैठक, जो नई दिल्ली में जनवरी के उत्तरार्द्ध में आयोजित की जाएगी, जारी रहेगी।

हालांकि इन वार्ताओं का हल निकालने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, परन्तु दोनों देश चाहते हैं कि शेष मुद्दों पर शीघ्र ही स्थायी समझबूझ तक पहुंचा जाए। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलेगी जो दोनों देश चाहते हैं।

श्री जसवंत सिंह और श्री स्ट्रोब टालबोट की बातचीत के साथ-साथ हमने फ्रांस और रूस के साथ विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया। श्री जसवंत सिंह के स्तर पर यू. के. और चीन के साथ तथा जर्मनी और जापान के साथ-साथ अन्य नाभिकीय शस्त्र रहित राज्यों के साथ सरकारी स्तर पर भी बातचीत हुई। मैं राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ नियमित रूप से पत्र व्यवहार करता रहा हूं। हमारे पत्राचार में न केवल हमारे प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श के मुद्दों पर ही चर्चा की गई बल्कि भारत-अमरीका के संबंधों के व्यापक पहलुओं पर भी चर्चा की गई। मेरा विचार है कि भारत-अमरीका के भावी संबंध विचाराधीन चारों मुद्दों से कहीं अधिक बड़ा है। राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी मुझसे यह कहा है कि उनकी इच्छा भारत के साथ व्यापक आधार पर संबंध स्थापित करने की है, जो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के लिए हितकर होगा। मैंने भी उनके प्रति इन्हीं भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया है। वस्तुतः संयुक्त राज्य के साथ हमारी वर्तमान वार्ता उसी लक्ष्य को लेकर चल रही है। मुझे विश्वास है कि यह सदन इसकी पूर्ण सफलता की कामना करेगा।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ छः चरणों में की गई बातचीत के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या सितम्बर, 1999 के बाद सी. टी. बी. टी. के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए सहायक वातावरण बनाया जाएगा? ... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, छः चरणों में बातचीत की गई है ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, इस पर डिस्कशन हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपको इस तरह से समस्याएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम यह जानना चाहेंगे कि इन बैठकों में क्या-क्या कहा गया है ... (व्यवधान) सभा को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाद में हम सी. टी. बी. टी. पर चर्चा करेंगे

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, विपक्ष के नेता ने सी. टी. बी. टी. के संबंध में प्रश्न पूछा है ... (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (दक्षिण मुंबई) : महोदय, प्रश्न पूछने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एक-एक प्रश्न का अलग-अलग उत्तर देना, उससे अच्छा यह है कि एक समवेत चर्चा हो जाए और आप भी अपनी पूरी बात कहें और हमें भी पूरी बात कहने का मौका दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैंने पूर्व सूचना दी है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं

... (व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय, एक बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, सांस्कृतिक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है ... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बाद यह मुद्दा उठाइए।

अपराह्न 12.20 बजे

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

मंत्रियों के (भते, चिकित्सोपचार और अन्य विशेषाधिकार)

(संशोधन) नियम, 1998

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) मंत्रियों के संबलनों और भतों से (संबंधित) अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों (भते, चिकित्सोपचार और अन्य विशेषाधिकार) (संशोधन) नियम, 1998 जो प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ.सं. 10/32/98. एम एण्ड जी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1849/98]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल [एयर विंग अराजपत्रित (योधक) समूह "ग" पद] संशोधन नियम, 1998 जो 24 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1850/98]

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड रासायनी का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड, रासायनी का वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड, रासायनी का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1851/98]

(ख) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।